रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72 REGISTERED No. D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 135] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 30, 1979/वैशाख 10, 1901
No. 135] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 30, 1979/VAISHAKHA 10, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1979

सा. का. नि. 279(अ.)—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 72 की उपधारा (2) और (3) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 63 (अ), तारीख 3 फरवरी, 1978 द्वारा यथा उपान्तरित, सिख गुरूद्वारा अधिनियम, 1925 (1925 का पंजाब अधिनियम 8) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिख गुरूद्वारा बोर्ड (सदस्यों का सहयोजन), नियम, 1926 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का नाम सिख गुरूद्वारा बोर्ड (सदस्यों का सहयोजन) (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सिख गुरूद्वारा बोर्ड (सदस्यों का सहयोजन) नियम 1926 में,—

(1) जहां कहीं भी पद "आयुक्त, गुरूद्वारा निर्वाचन" आया है, उसके स्थान पर "मुख्य आयुक्त, गुरूद्वारा निर्वाचन" पद रखा जाएगा ।

(2) नियम 3 में, "पंजाब सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं. एस. 13016/5/79 एस आर]

एस. शान्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 1979

G.S.R. 279(E).—In exercise of he powers conferred by section 146 of the Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act 8 of 1925), as modified by the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, S.O. 63(E), dated the 3rd February, 1978, issued under sub-section (1) read with sub-sections (2) and (3) of section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sikh Gurdwaras Board (Co-optation of Members) Rules, 1926, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Sikh Gurdwaras Board (Co-optation of Members) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sikh Gurdwaras Board (Co-optation of Members) Rules, 1926,—

(i) for the expression "Commissioner, Gurdwara Elections", wherever it occurs, the expression "Chief Commissioner, Gurdwara Elections" shall be substituted ;

(ii) in rule 3, for the words "the Punjab Government", the words "the Central Government" shall be substituted.

[No. S. 13016/5/79-SR]

S. SANTHI, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979